



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6994

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 21083 वर्ष 2025

विशाल सोनकरआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : अरविन्द कुमार त्रिपाठी, राजीव चौधरी, शिवम कुमार शुक्ला, उर्वशी कुँवर

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : जानेन्द्र प्रसाद महन्त, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। आज दाखिल द्वितीय अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री राजीव चौधरी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री जानेन्द्र प्रसाद महन्त, सूचक के विद्वान अधिवक्ता, श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 532 वर्ष 2024, धारा 3(5), 103(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना भेलूपुर, जिला वाराणसी में, विचारण के लम्बित रहने के दौरान जमानत की प्रार्थना की है।
4. अभियोजन कथानक के अनुसार, आवेदक एवं 6 अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों ने दिनांक 05.12.2024 को रात्रि लगभग 10:30 बजे सूचक के भाई की छाती व कनपटी पर गोली मारकर हत्या की, जिसे बी.एच.यू. ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया जहाँ उसे मृत लाया हुआ घोषित कर दिया गया।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग 5 घण्टे की देरी हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य एवं सर्वव्यापी आरोप हैं। मृतक को तीन गोली के घाव लगे थे।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। एकमात्र अन्तर यह है कि तत्पश्चात् अभियोजन द्वारा एक साक्षी सोनू विश्वकर्मा का बयान जुटाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि श्रीमती कुसुम देवी ने आवेदक को एक पिस्तौल दी और आवेदक ने मृतक पर 3 गोलियाँ चलाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उक्त सोनू विश्वकर्मा का बयान दिनांक 08.12.2024 को आवेदक की गिरफ्तारी के एक दिन बाद दर्ज किया गया। घटना से पूर्व, आवेदक के इशारे पर एक पिस्तौल की बरामदगी पहले ही हो चुकी थी।
7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि उक्त प्रत्यक्षदर्शी को बाद की सोच के रूप में केवल यह दिखाने के लिए जुटाया गया है कि आवेदक प्राथमिक अभियुक्त था। अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के जमानत आवेदन आवेदक को प्राथमिक अभियुक्त दर्शाते हुए स्वीकार किए गए हैं, किन्तु आवेदक इस आधार पर जमानत का अधिकारी है कि उक्त प्रत्यक्षदर्शी सोनू विश्वकर्मा का बयान घटना के 2 दिन बाद दिनांक 08.12.2024 को विलम्ब से

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दर्ज किया गया और उक्त प्रत्यक्षदर्शी सोनू विश्वकर्मा का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है। आवेदक को आरोपित एक प्रकरण के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दे दिया गया है। आवेदक दिनांक 07.12.2024 से कारागार में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

8. इसके विपरीत, सूचक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है कि सभी जमानत आवेदन आवेदक को मुख्य अभियुक्त बताते हुए स्वीकार किए गए हैं और आवेदक के इशारे पर 9 मि.मी. की पिस्तौल बरामद हुई है, अतः वह जमानत का अधिकारी नहीं है।
9. उच्चतम न्यायालय ने प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 SCC 648 में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अन्यथा अभियुक्त का जमानत का प्रकरण बनता है तो उसके विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना स्वतः जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।
10. "दोषसिद्ध न होने तक निर्दोषिता की उपधारणा" का सुप्रसिद्ध सिद्धान्त ही जमानत को नियम एवं कारावास को अपवाद की संकल्पना का आधार है।
11. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत किसी व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इस आधार पर नहीं छीना जा सकता कि वह व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, जब तक कि उचित संदेह से पर अपराध सिद्ध न हो जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में यह उपबन्धित है कि किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए और वह प्रक्रिया न्यायोचित एवं युक्तिसंगत होनी चाहिए। उक्त सिद्धान्त को उच्चतम न्यायालय ने सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, 2022 INSC 690 में पुनः प्रतिपादित किया है।
12. उक्त मत की पुनः पुष्टि करते हुए उच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595 के प्रकरण में पुनः इस बात पर बल दिया है कि यह सुस्थापित विधिक सिद्धान्त कि जमानत को दण्ड के रूप में रोका नहीं जाना चाहिए, को नहीं भुलाया जाना चाहिए। यह उचित समय है कि न्यायालयों को इस सिद्धान्त को मान्यता देनी चाहिए कि "जमानत नियम है और कारागार अपवाद है"।
13. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता / राज्य विधि अधिकारी कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके जो आवेदक को जमानत अस्वीकार करने की अपेक्षा करती हो।
14. यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जमानत का उद्देश्य विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता / राज्य विधि अधिकारी द्वारा कोई ऐसा सारभूत तथ्य या परिस्थिति नहीं दर्शाई गई जो यह सुझाव दे कि आवेदक न्याय से भागेगा, न्याय की प्रक्रिया को बाधित करेगा अथवा अपराध दोहराने या साक्षियों को भयभीत करने जैसी अन्य परेशानियाँ उत्पन्न करेगा।
15. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हुए कि प्रत्यक्षदर्शी सोनू विश्वकर्मा को जुटाया गया है और उसका बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट के 2 दिन बाद दर्ज किया गया, वह भी आवेदक की गिरफ्तारी के एक दिन बाद उसे प्राथमिक अभियुक्त दर्शाते हुए, तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रारम्भिक आरोप सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य एवं सर्वव्यापी प्रकृति के थे, एवं प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय का प्रथम दृष्टया मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

16. आवेदक विशाल सोनकर, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा दो जमानतदार, प्रत्येक समान राशि में, प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को दबाव में नहीं लेगा / उन्हें भयभीत नहीं करेगा। (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
17. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
18. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों को गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) 12 जनवरी, 2026 (रवि कान्त)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"